मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-5/1525/22-2-2014-25 (94)/97 टी0सी0।।

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1; समस्त जनपद न्यायाधीश,उ0प्र0
2. समस्त जिला मजिस्टेट, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग;2 लखनऊ दिनांक 28- नवम्बर, 2014

विषय- क्रिमिनल जनहित याचिका संख्या-2357/1997 बच्चे लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2014 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रिमिनल जनहित याचिका संख्या-2357/1997 बच्चे लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2014 में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये आदेश का संगत अंश् निम्नवत उद्धृत है-

Constitution of State and District Committees for prison matters

Annexure 7 to the compliance affidavit is the Office order dated 30.9.2014 issued by the Chief Secretary whereby State Level and District Level Committees consisting of various authorities of the legal, financial, women social welfare, technical education, occupational education, medical and health, basic education, revenue, legal services, authority, DGP and jail administration etc. of their nominees have been constituted at the state and district levels. The State Level Committee is to meet every six months and the District Level Committee is to meet every three months. It is directed that these meetings be held with a proper agenda, and with regularity and the problems of prisoners be taken up in a continual and systematic manner, and the State level committee needs to also solve the problems pointed out by the district level committees, which cannot be handled at their levels. Feed back on the extent of compliance of this direction also reported on the next listing.

2- उपरोक्त से स्पष्ट है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कार्यालय ज्ञाप संख्या-1365/22-2-2014-25(94)/97टी0सी0-।। दिनांक 30-09-2014 द्वारा प्रदेश के कारागारों तथा उनमें निरूद्ध बन्दियों से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर उनका समाधान एवं समयबद्व कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित समिति का संज्ञान लिया गया हैं इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके स्तर से गठित जिला समिति की बैठक समयान्तर्गत कराकर कृत कार्यवाही सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्त अपनी संस्तुतियों सहित महानिरीक्षक कारागार एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 08-10-2014 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(एस0 के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या-5/1525(1)/22-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार/आदर्श कारागार/जिला कारागार, उ0प्र0।

आज्ञा से

(राम कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in